



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 20494 वर्ष 2026

कमलेश सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : श्री विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी

प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन वाद अपराध संख्या 67 वर्ष 2026, धारा 111(2)(ख), 318(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना श्रीरामपुर, जनपद देवरिया के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा आवेदक के कब्जे से ₹9,000/- की बरामदगी झूठी दर्शाई गई है तथा उक्त कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक के कब्जे से कथित रूप से बरामद ₹9,000/- उसकी मेहनत की कमाई है। आवेदक को केवल इस आधार पर वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है कि वह सह-अभियुक्तों के साथ कथित रूप से उपस्थित था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि ₹9,000/- की कथित बरामदगी के अतिरिक्त आवेदक के कब्जे से ऐसा कोई अन्य सामान बरामद नहीं हुआ है, जिससे उसका कथित अपराध से संबंध स्थापित हो सके। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के आपराधिक इतिहास का समुचित स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के अनुच्छेद-17 में दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक दिनांक 07.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक की अपराध में संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, आवेदक द्वारा कारागार में व्यतीत अवधि, उसके आपराधिक इतिहास के स्पष्टीकरण तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने का प्रथमदृष्टया आधार प्रस्तुत किया है।
6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. आदेशित किया जाता है कि आवेदक कमलेश सिंह को उपर्युक्त वाद अपराध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक इस आशय का एक लिखित उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस दिन वह स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित अवसरों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप निर्धारण, तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत उसके कथन दर्ज किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में इन अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विचारण न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,)

जून 22, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"